न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 34/2023 G.C.M.S. No. 2023/150 दर्ज दिनांक : 23.05.2023

अपीलार्थीगण :

1. मृत पाबुराम पुत्र स्व. हुकमा, जाति पटेल, निवासी रोहट के विधिक उत्तराधिकारीगणः–
   1/1–मांगीलाल पुत्र पाबुराम
   1/2–मूलाराम पुत्र पाबुराम
   1/3–वरदाराम पुत्र पाबुराम
   1/4–गेनाराम पुत्र पाबुराम सभी जातिगण पटेल, निवासीगण रोहट,
   1/5–मृत विरमाराम पुत्र पाबुराम, जाति पटेल, निवासी रोहट के विधिक उत्तराधिकारीगणः –
      1/5/1–संजय पुत्र विरमाराम
      1/5/2–भरत पुत्र विरमाराम सभी जातिगण पटेल, निवासीगण रोहट,तहसील रोहट, जिला पाली
   1/6–फूलीदेवी पुत्री पाबुराम (पत्नि वेनाराम), उम्र 68 वर्ष, निवासी कलाली, तहसील रोहट

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम

प्रत्यर्थिगण :

1. मृत सालगराम पुत्र स्व. हुकमा, जाति पटेल, निवासी रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली के विधिक उत्तराधिकारीगणः–
   1/1–मानाराम पुत्र सालगराम
   1/2–खीमाराम पुत्र सालगराम
   1/3–हेमाराम पुत्र सालगराम सभी जातिगण पटेल, निवासीगण पटेलो का बास तहसील रोहट, जिला पाली,
   1/4–तीजादेवी पुत्री सालगराम जी पत्नि शेषाराम
   1/5–मीमादेवी पुत्री सालगराम जी पत्नि भीमाराम सभी जातिगण–पटेल, निवासीगण रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली,
2. रूकमो पत्नि रतनाराम, उम्र–बालिग, जाति पिटल, निवासी रोहट
3. सीतादेवी पत्नि दलाराम, जाति पिटल, निवासी रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली
4. देवी पुत्री प्रभूराम पत्नी मांगीलाल जाति पिटल, निवासी मुकनपुरा, तहसील रोहट, जिला पाली,
5. जमना पुत्री प्रभूराम पत्नी नारायणराम जाति–पिटल, निवासी बीटू, तहसील रोहट, जिला पाली,
6. कन्या पुत्री प्रभूराम पत्नी गोदाराम जी जाति–पिटल, निवासी रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली,

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

7. हारी पुत्री प्रभूराम (पत्नि भाकरराम), उम्र–बालिग, जाति पिटल, निवासी रामपुरा, तहसील रोहट, जिला पाली,
8. अनिल गोलिया पुत्र वर्धमानचन्द गोलिया, जाति ओसवाल, निवासी शिव शक्तिनगर महामंदिर, तिसरी पोल जोधपुर, तहसील एवं जिला जोधपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली,
10. एस.बी.बी.जे. (अब एस.बी.आई.) शाखा रोहट जरिये शाखा प्रबंधक,

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलेक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2020 बउनवान पाबूराम के का.मु. मांगीलाल वगै. बनाम सालगराम के का.मु. मानाराम वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2023

पैरोकारः–

1. श्री दौलत मकवाना, श्री भरत उपाध्याय विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मदनदास वैष्णव विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 29.08.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलेक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2020 बउनवान पाबूराम के का.मु. मांगीलाल वगै. बनाम सालगराम के का.मु. मानाराम वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह है कि अपीलार्थीगण वादीगण ने योग्य अधीन न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। जो अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट हेमाराम की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि " वादीगण ने उपरोक्त वाद खातेदारी की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा और बंटवाडा का ग्राम रोहट के वर्तमान खसरा नम्बर 88, 202, 530, 1218/157, 334, 349, 354, 863, 876, 877 बाबत् पेश किया। उपरोक्त भूमि की खतौनी बंदोबस्त संवत् 2010 अनुसार पूर्व खसरा नम्बर 1103, 231, 510/1267, 800, 1096/1 एवं 1105 बताये गये है। रेस्पोडेण्ट का आगे कथन रहा कि भूमि एकीकरण के समय वादी मृत पाबूराम और प्रतिवादी मृत सालगराम के पिता हुकमाजी का देहांत हो चुका था और उनके स्थान पर दोनों पुत्र पाबूरामजी और सालगरामजी का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज हो चुका था। इसलिए भूमि एकीकरण के दौरान वादीगण के पूर्वज पाबूरामजी ने भूमि एकीकरण विभाग के अधिकारीयों से उपरोक्त भूमि का विभाजन करवा दिया, जिस अनुसार पाबूरामजी के नाम पर्चा आखरी तस्दीक संवत् 2018 में जारी किया, जिसमें खसरा नम्बर 530, 202, 1096, 1066/157 कुल रकबा 59 बीघा 02 बिस्वा के खातेदारी अधिकार दिये गये। उपरोक्त पर्चा आखरी तस्दीक की पुश्त पर बतौर खातेदार पाबूदानजी के हस्ताक्षर किये। इसी तरह प्रतिवादी सालगराम के नाम गत खसरा संख्या 451 तथा अन्य ओर खसरा संख्या 460 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 461 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नम्बर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

462 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 29 बीघा 08 बिस्वा जो हुकमारामजी के नाम की खातेदारी के नहीं थे, लेकिन सालगरामजी का कब्जा काश्त था कि खातेदारी भी सालगराम को दी गई अर्थात् उक्त पर्चा आखिरी तस्दीक मे गत खसरा नम्बर 451 रकबा 65 बीघा 04 बिस्वा तथा उपरोक्त खसरा नम्बर 460, 461, 462 का रकबा 29 बीघा 8 बिस्वा को मिलाकर कुल 94 बीघा 12 बिस्वा का नया खसरा नम्बर 88 बनाकर सालगरामजी को खातेदारी दी गई थी जिसमे पुश्तैनी अर्थात हुकमारामजी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 451 रकबा 65 बीघा 4 बिस्वा ही शामिल थी। उपरोक्त पर्चा आखरी तस्दीक की पुश्त पर भी उक्त इन्द्राज स्वीकृति व सहमति के वादीगण के पूर्वज पाबूदानजी के हस्ताक्षर है। रेस्पोडेण्ट का आगे कथन रहा कि गत खसरा नम्बर 1103, 1096/1, 1105 के वर्तमान खसरा नम्बर 865, 876, 877 रकबा 54 बीघा 19 बिस्वा के खातेदारी अधिकार वादीगण के पूर्वज पाबूदानजी एवं प्रतिवादी के पूर्वज सालगरामजी के संयुक्त खातेदारी में रखे गये। उक्त पर्चा आखरी तस्दीक पर भी सहमति स्वरूप पाबूदानजी के हस्ताक्षर है और सालगरामजी का अंगुष्ठ निशान है। उपरोक्त भूमि एकीकरण इन्द्राज अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज एन्ट्रीज आज दिनांक तक चली आ रही है जिसे वादीगण के पूर्वज पाबूदानजी का अपने जीवनकाल में कभी भी चुनौती नहीं दी और उसी अनुरूप मौके पर भी काबिज रहे, काश्त करते रहे, जिसे भी कभी भी चुनौती नही दी। गत खसरा आबरान की भूमि रकबा 171 बीघा 6 बिस्वा बताई गई है जो वादीगण के पूर्वज पाबूदानजी व प्रतिवादीगण के पूर्वज सालगरामजी के पिता हुकमारामजी के खातेदारी की थी। इस प्रकार उपरोक्त भूमि में आधा हिस्सा वादीगण के पूर्वज पाबूदानजी का 85 बीघा 13 बिस्वा रहा तथा आधा हिस्सा प्रतिवादीगण के पूर्वज सालगरामजी 85 बीघा 13 बिस्वा रहा। भूमि एकीकरण में पाबूदानजी एवं सालगरामजी द्वारा आपसी सहमति से किये गये विभाजन और इन्द्राज अनुसार पर्चा आखरी तस्दीक सहमति से जारी किये गये थे। जिस अनुसार वादीगण के पूर्वज पाबूदानजी के नाम करीब 86 बीघा 10 बिस्वा खातेदारी दर्ज की गई जो उनके हिस्से की कुल खातेदारी भूमि 85 बीघा 13 बिस्वा से अधिक है। प्रतिवादी सालगरामजी की तत्समय गत खसरा नम्बर 460, 401 व 462 के कुल रकमा 20 बीघा 02 बिस्वा पर कब्जा काश्त होने से सेटलमेण्ट विभाग द्वारा खातेदारी दर्ज वर्तमान खसरा नम्बर 88, जो गत खसरा नम्बर 451 रकबा 65 बीघा 04 बिस्वा से बना था, में उपरोक्त रकबा सम्मिलित कर खसरा नम्बर 88 रकबा 94.12 बीघा दर्ज कर दिया, जो इन्द्राज संवत् 2018 से अब तक चले आ रहे है और करीब 55 वर्षो से लगातार चले आ रहे है, जिसे पूर्व में वादीगण के पूर्वज पाबूदानजी अथवा वादीगण ने कभी भी चुनौती नहीं दी है। इसी अनुरूप मौके पर काबिज रहे है और काश्त करते रहे है तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि में से 1 बीघा 4 बिस्वा फोरलेन सडक में भूमि अवाप्त की गई, उसका मुआवजा प्रतिवादीगण को दिया गया तथा प्रतिवादीगण के खाते मे से उपरोक्त अवाप्त सुदा भूमि की गई. उपरोक्त समस्त स्वीकृत तथ्य है। ऐसी स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए उपरोक्त वाद पेश किया है जो विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। रेस्पोडेंट का आगे कथन रहा कि वादीगण अपने पिता द्वारा स्वेच्छा से किये गये विभाजन से एस्टोपल के सिद्धान्त से बाधित है और उसे चुनौती नहीं दे सकते है। विधिक रूप से वादीगण का वाद उपरोक्त आधारों पर पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

को अपने पिता द्वारा किये गये विभाजन और समझौते को नकारने का विधिक रूप से अधिकार नहीं है और पिता द्वारा किये गये विभाजन को चुनौती देने का भी विधिक रूप से अधिकार नहीं है। वादीगण के पूर्वज पाबूदानजी पढे लिखे होशियार व्यक्ति थे अर्थात पढना लिखना पूर्ण रूप से जानते थे, उन्होने स्वेच्छा से भूमि एकीकरण अधिकारी के रूबरू उपरोक्त ईन्दाज को स्वीकार करते हुये हस्ताक्षर किये थे, जिस उन्होंने अपने जीवनकाल में कभी भी चुनौती नहीं दी थी। गत खसरा नम्बर 460, 461 व 462 कुल रकबा 29 बीघा 8 बिस्वा हुकमाजी के न तो खातेदारी की थी, न ही कब्जे काश्त की थी। न ही उनका विधिक रूप से कोई हक हकुक अधिकार था। बल्कि उपरोक्त भूमि पर एकमात्र रूप से प्रतिवादीगण के पूर्वज सालगरामजी का ही कब्जा–काश्त था, इसी कारण भूमि एकीकरण के दौरान उपरोक्त भूमि के खातेदारी अधिकार उपरोक्त सालगरामजी को दिये गये थे। जिसमें वादीगण का अथवा उनके पूर्वज पाबूदानजी का कोई हक हकुक अधिकार विधिक रूप से न तो बनता है, न ही विधिक रूप से है, न ही इस बाबत किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य वादी द्वारा पेश की गई है। वादीगण के पूर्वज पाबूदानजी को भी उनके कब्जे अनुसार अलग खसरो की खातेदारी दी गई थी, जो आज भी वादीगण के नाम दर्ज है जिनका कभी भी प्रतिवादीगण की ओर ऐतराज नहीं किया गया, न ही चुनौती दी गई है। ऐसी स्थिति मे वाद विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। उपरोक्त वाद केवल और केवलमात्र न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होने, पूर्वजो द्वारा स्वीकृत इन्द्राज को चुनौती देने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं होने से भी वाद इसी स्तर पर वादीगण का वाद व्यय सहीत खारिज करने का निवेदन किया।" अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर वकील रेस्पोडेण्ट/ प्रतिवादी की मौखिक एवं वकील अपीलार्थी/वादीगण की लिखित बहस सुनकर प्रतिवादी /रेस्पोडेण्ट हेमाराम का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार कर यादीगण/अपीलार्थीगण का वादपत्र, वाद–हेतुक के अभाव मे एवं म्याद बाधिक होना मानकर अस्वीकार कर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री के जरिये खारिज किया।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करते वक्त न्यायालय केवलमात्र वाद पत्र मे दर्ज तथ्य कथनो को ही देख सकता है, न की प्रतिवादी की डिफेन्स व डिफेन्स मे प्रस्तुत दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य तथा प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्ज एवं बहस के दोरान उठाये गये तर्को कों अपीलार्थीगण द्वारा अपनी लिखित बहस मे प्राथमिक आपति के रूप से उक्त विधिक सिद्धान्त दर्ज किये। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जहां तक "वादकारण" का प्रश्न है ? इस सम्बन्ध मे वादीगण/अपीलार्थीगण का स्पष्ट रूप से सविनय निवेदन है कि वाद–कारण पैदा हुआ या नही? इस बाबत केवलमात्र सम्पूर्ण वाद पत्र यानि बण्डल ऑफ फेक्टस देखा जावेगा तथा वाद पत्र में दर्ज तथ्य कथनो एवम अभिवचनो को ही देखा जा सकता है, न की रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी की प्रतिरक्षा को और प्रतिरक्षा में उठाये गये तर्को, तथ्य कथनो व दस्तावेजी साक्ष्य को।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हुकमा वल्द भबुत पिटल, निवासी रोहट का संवत् 2016 में स्वर्गवास हो गया। हुकमा वल्द भबुत पिटल के स्वर्गवास के पश्चात् उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की कुल 171.06 बीघा भूमि बाबत् विरासत का नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 21.01.1962 को ग्राम पंचायत रोहट ने उक्त हुकमा के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान पाबुराम एवं सालगराम पिसरान हुकमा, कौम–पिटल, निवासी–रोहट के पक्ष मे स्वीकृत किया। जिसका अमल दरामद राजस्व रेकर्ड में हो गया। उक्त जमाबन्दी संवत् 2012 से 2031 की प्रमाणित प्रति मे दर्ज ईन्द्राजात अनुसार उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की कुल 171.06 बीघा भूमि मे वादीगण के पूर्वज पाबुराम का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/5 के पूर्वज सालगराम का 1/2 हिस्सा दर्ज है जो ईन्द्राजात सही है। सेटलमेन्ट के पूर्व से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दौरान मौजा रोहट के खसरा नम्बर 176 मि. रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 232 मि. रकबा 7.19 बीघा, खसरा नम्बर 460 रकबा 10.01 बीघा, खसरा नम्बर 461 रकबा 8.17 बीघा एवं खसरा नम्बर 462 मि. रकबा 10.10 बीघा पर वादीगण के पूर्वज पाबुराम एवं प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/5 के पूर्वज सालगराम का बहिस्सा बराबर–बराबर शामलाती कब्जा काश्त होने से उन्हे उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि बाबत् वक्त चकबन्दी खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, परन्तु मिलान क्षेत्रफल एवं भूमि–एकीकरण (जमाबन्दी) संवत् 2019 बनाते समय गत खसरा नम्बर 451 रकबा 65.04 बीघा, खसरा नम्बर 460 रकबा 10.01 बीघा, खसरा नम्बर 461 रकबा 8.17 बीघा एवं खसरा नम्बर 462 मि. रकबा 10.10 बीघा, कुल रकबा 94.12 बीघा के नये खसरा नम्बर 88 रकबा 94.12 बीघा कायम कर भूमि–एकीकरण विभाग के कर्मचारीयों एवं अधिकारीयों ने विधि–विरूद्ध रूप से उक्त नये खसरा नम्बर 88 रकबा 94.12 बीघा का एकमात्र खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/5 के पूर्वज "सालगराम वल्द हुकमा, जाति–पीटल सा. देह खातेदार" दर्ज कर दिया जो ईन्द्राजात विधि–विरूद्ध होकर एब–इनिशियों वॉईड होने से तथा चूकिं वाद–पत्र मे दर्ज अनुसार खसरा नम्बर 88 मे से प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/3 द्वारा किये गये 3 बीघा भूमि का बैचाण हस्तातरण किया गया एवं सडक मे अधिग्रहीत भूमि रकबा 1 बीघा 02 (दो) बिस्वा का मुआवजा भी प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/3 द्वारा प्राप्त किया गया अतः वादग्रस्त भूमि मे से खसरा नम्बरान 88 रकबा 90 बीघा 08 बिस्वा भूमि मे से रकबा 47 बीघा 06 बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकार की घौषणा करवाने के वादीगण हक अधिकारी होने तथा उक्त खसरा नम्बर 88 की शेष रकबा 43 बीघा 02 बिस्वा भूमि के प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/5 खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतू वाद–पत्र मे अनुतोष क्लेम किया। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि मे से खसरा नम्बर 202 एवं 530 कुल रकबा 52 बीघा 06 बिस्वा तथा वादस्थ भूमि खसरा नम्बर 863, 876, 877 कुल रकबा 54 बीघा 19 बिस्वा भूमि मे वादीगण 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/5 का 1/2 (एक बट्टा दो) हिस्सा के खातेदारी अधिकार की घौषणा करवाने के अधिकारी होने से वादीगण ने अधिकार घोषणा का दावा पेश है। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि एवं वादस्थ भूमि मे वादी संख्या 1/6 जो पाबुराम जी की विधिक वारिस है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1/4 तथा 1/5 जो सालगराम जी की विधिक वारिस है परन्तु पाबुरामजी एवं सालगरामजी के स्वर्गवास के पश्चात् विरासत के नामान्तरकरण केवलमात्र पाबुरामजी एवं सालगराम के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पुत्रो वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/5 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1/1लगायत 1/3 के पक्ष में ही स्वीकृत किये गये जो नामान्तरकरण भी इस हद तक विधि विरूद्ध है। इस प्रकार वाद पत्र पद संख्या 1 (प्प्) में वर्णित खसरा नम्बर 337 रकबा 28 बीघा, 13 बिस्वा, किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.01 बिस्वा, किस्म गैरमुमकीन बेरा एवं खसरा नम्बर 354 रकबा 74 बीघा 15 विस्वा, किस्म चाही प्रथम, कुल रकबा 103 बीघा 09 बिस्वा में भी आगे वर्णितानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/5 को हिन्दु उत्तराधिकार के प्रावधानो अनुसार उत्तराधिकार में खातेदार हक हिस्सा प्राप्त हुआ।

वाद–कारण उत्पन्न होने सम्बन्धी वाद–पत्र में वर्णित तथ्य कथनो को कायम रखते हुये निवेदन है कि विधि अनुसार "वाद–कारण उत्पन्न हुआ या नही ? इस आधार पर आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के अन्तर्गत वाद पत्र खारिज नही किया जा सकता क्योंकि वाद–कारण पैदा हुआ या नही? यह तथ्य व विधि का मिश्रित प्रश्न है जो तनकियात कायम कर उस पर दोनों पक्षो की साक्ष्य लेखबद्ध करने के पश्चात की निर्णित किया जा सकता है। इस प्रकार प्रकट है कि योग्य अधिन न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के मात्र प्रतिवादी / रेस्पोडेण्ट के प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो को शाश्वत सत्य मानकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे वाद–पत्र मे वर्णितानुसार रिबेटेबल ईन्द्राजात को सही मानकर तथा बिना किसी सहय से प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट का वादग्रस्त भूमि पर मौके पर काबिज मानकर तथा पूर्व में तथाकथित बंटवाडा/सहमति से हुए राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज को चुनौती नहीं देना बताकर वादीगंण /रेस्पाडेण्ट को कोई बाद हेतुक उत्पन्न होना नहीं पाये जान एवं वाद म्याद बाधित होना मानकर खारिज करने में तथ्यों एवं विधि की भारी भूल की है अतः जैर अपील निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने योग्य है।

अधिन न्यायालय ने जैर अपील निर्णय में फाईडिंग दी कि "वादीगण द्वारा वादपत्र में किये गये अभिवचनों से भी यह प्रतीत होता है कि वादीगण ने सहमति से हुए राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज को चुनौती नहीं दी है और न ही ऐसे तथ्यो को अस्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में पूर्व में हुए बंटवाडे को चुनौती दिये बिना ही पुनः बंटवाडा किया जाना कतई विधि सम्मत नहीं है।" इस संबंध में निवेदन है कि कृपया वाद–पत्र पद संख्या 5 का अवलोकन करावे जिसमें उक्त इन्द्राजात को चुनौती दी गई तथा उन्हे एब इनिशियो नल एण्ड वॉईड होना कथन कर अस्वीकार किया गया है। जहां तक पूर्व मे तथाकथित बंटवाडा होने का प्रश्न है? इस संबंध मे निवेदन है कि "आया भूमि एकीकरण विभाग के अधिकारीयों को राजस्थान क्राश्तकारी अधिनियम लागू होने की तिथी 15.10.1955 के पश्चात् कृषि भूमि के तकासमा का अधिकार था या नही ?" इसी प्रकार "आया तकासमा हेतू भूमि एकीकरण के सक्षम तत्कालीन सह–खातेदारान ने कोई आवेदन किया या नही ?" इसी प्रकार "आया पर्चा आखरी तस्दीक पर किसी सह–खातेदार काश्तकार के हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान के आधार पर तकासमा बाबत् उसकी स्वतंत्र सहमति मानी या संमझी जा सकती है या नही ?" "आया क्या सेटलमेण्ट विभाग के अधिकारीयो को किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना पूर्व ईन्द्राजात परिवर्तित करने का अधिकार है ?" उपरोक्त विषय तथ्यों एवं विधि के मिश्रीत प्रश्न है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थीगण का दावा निरस्त करने योग्य मे योग्य अधिन न्यायालय ने तथ्यो एवं विधि की भारी भूल की है। रेस्पोडेण्ट / प्रतिवादीगण के प्रार्थना–पत्र मे वर्णित तथ्यों को अपने लिखित कथन में दर्ज कर अपना लिखित कथन प्रस्तुत करने पर इस संबंध में आवश्यक तनकियात कायम कर उन पर दोनो पक्षों की साक्ष्य अभिलिखित कर निर्णित करना विधिसम्मत रहेगा इस स्तर पर बिना तनकियात कायम किये, उन पर बिना साक्ष्य के वाद–पत्र से परे प्रार्थी / प्रतिवादीगण के प्रार्थना–पत्र मे वर्णित तथ्यो के आधार पर आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहतवाद–पत्र रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है और न ही ऐसे कोई प्रावधान आदेश 7. नियम 11 सी.पी.सी. में दर्ज है अतः पऔर अपील निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने योग्य है।

यह है कि जहां तक म्याद एवं रेस्पोडेण्ट द्वारा योग्य अधिन न्यायालय में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का प्रश्न है? इस संबंध में निवेदन है कि धारा 88 एवं 53 सपठित तृतीय अनुसूची के अनुसार धारा 88 एवं 53 के तहत वाद प्रस्तुतीकरण हेतू कोई मियाद निर्धारित नहीं है और न ही इस आधार पर इस प्रारम्भिक स्तर पर दावा रिजेक्ट करना न्यायोचित है। तृतीय अनुसूची मे धारा 88 एवं 53 आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत वाद हेतू कोई मियाद निर्धारित नही है।

यह है कि यहां यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी वादीगण ने अपनी लिखित बहस मे विशिष्ठ कथन किया कि:–"प्रतिवादीगण का यह कथन गलत एवं झूठ होने से अस्वीकार है कि भूमि एकीकरण के दौरान वादीगण के पूर्वज पाबूरामजी ने भूमि एकीकरण विभाग के अधिकारीयों से उपरोक्त भूमि का विभाजन करवा दिया, जिस अनुसार पाबूरामजी के नाम पर्चा आखरी तस्दीक संवत् 2018 में जारी किया, जिसमें खसरा नम्बर 530, 202, 1096, 1066/157 कुल रकबा 59 बीघा 02 बिस्वा के खातेदारी अधिकार दिये गये।" परन्तु फिर भी योग्य अधिन न्यायालय ने जैर अपील निर्णय में बिलकुल गलत फाईडिंग दी। इस प्रकार प्रकट है कि योग्य अधिन न्यायालय ने मैलाफाईड इन्टेशन रखते हुये जैर अपील निर्णय पारित किया है जो केवलमात्र इसी कारण एवं आधार पर निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री अपास्त फरमावे तथा रेस्पोडेन्ट का लिखित कथन लेकर तनकीयात कायम कर दोनो पक्षो की साक्ष्य कलमबद्ध कर मेरिट पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमने प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाट्स द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए–

1. 2011(4) WLC Page 531
2. 2022(1) RRT 518
3. 2010(1) RRT 720

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

4. 2009(1) RRT 882
5. 2014(1) DNJ 62
6. 2010(1) RRT 181
7. RRD 1997 Page 13
8. 2020(1) RRT 37
9. 2022(1) RRT 35
10. 2011(1) RRT 237
11. 2014 DNJ (SC) 224

हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत लिखित बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरो का ससम्मान अध्ययन करते हुए प्रकरण के सम्यक न्याय निर्णयन में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट्स प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात् में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2023 द्वारा वादपत्र खारिज कर किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गयी।
2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वस्तुतः वादग्रस्त आराजीयात् का पूर्व में वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा सहमति से बंटवाड़ा करवा देने, उक्त सहमति विभाजन के आधार पर भू अभिलेख में प्रविष्टिया दर्ज हो जाने, एवं भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान इसी अनुरूप उक्त सहमति बंटवाड़ा एवं इसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरण को आज दिनांक तक चुनौति नहीं देने पर्चा तस्दीक कर देने के आधार पर वादपत्र में वाद हेतुक प्रकट नहीं होने के आधार पर वादपत्र खारिज किया गया।
3. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात् वादीगण के पूर्वज पाबूराम तथा प्रतिवादीगण संख्या 1/1–1/5 के पूर्वज सालगराम के पिता हुकमा वल्द भबूत की खातेदारी आराजी होने तथा हुकमा वल्द भबूत प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान पाबूराम एव सालगराम होने से हुकमा वल्द भबूत के फौत होने पर विरासतन नामान्तरण संख्या 75 दिनांक 21.01.1962 द्वारा इनके नाम दर्ज हुआ। तत्पश्चात भू–प्रबंध विभाग द्वारा भूमि एकीकरण(जमाबन्दी) सवत् 2019 तैयार करते समय सालगराम वल्द हुकमा तथा पाबूराम वल्द हुकमा के नाम वादग्रस्त आराजीयात् के खसरा में से पृथक–पृथक भूमि दर्ज कर दी गयी। जो विधि विरूद्ध इन्द्राज है, के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् अनुतोष चाहा गया।
4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 07 नियम 11 के सपठित धारा 151 प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि भूमि एकीकरण के समय वादी मृत पाबूराम तथा प्रतिवादी मृत. सालगराम के पिता हुकमा जी का देहान्त हो चुका था तथा उनके स्थान पर दोनो पुत्रो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पाबूराम व सालगराम का नाम बतौर खातेदार दर्ज हो चुका था। भूमि एकीकरण के दौरान वादीगण के पिता पाबूराम ने भूमि एकीकरण विभाग के अधिकारियों से भूमि का विभाजन करवा दिया। जिसके अनुसार पाबूराम व सालगराम के नाम अलग अलग पर्चा आखिरी तस्दीक संवत् 2018 मे जारी किया गया। जिन पर सहममि स्वरूप पाबूराम के हस्ताक्षर व सालगराम के अगुष्ठ निशान है। इसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज होकर आज दिनांक तक चला आ रहा है। जिसे पाबूराम ने अपने जीवनकाल में कभी चुनौती नहीं दी। इसी आधार पर प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि में से 01—04 बीघा भूमि फोरलेन राजमार्ग हेतू आवाप्त होने पर प्रतिवादीगण को मुआवजा भूगतान किया गया। वादीगण अपने पिता द्वारा स्वैच्छा से किए गए विभाजन से एस्टोपल के सिद्धान्त से बाधित है।

5. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया कि वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायालय सहायक कलेक्टर के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए म्याद निर्धारित नहीं है तथा वादकारण का वादपत्र में उल्लेख किया गया। वादकारण के आधार पर वादपत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत खारिज नहीं किया जा सकता, भू प्रबन्ध अधिकारियों को खातेदारी समाप्त करने तथा इन्द्राज परिवर्तन करने के लिए सक्षम नहीं है। आदेश 07 नियम 11 के प्रकरण में केवल वादपत्र का अवलोकन अपेक्षित होता है। इस स्तर पर साक्ष्य व गुणावगुण पर विचार नहीं किया जा सकता। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त कर अपील मंजूर कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमावे।

6. हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व वादपत्र तथा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी स्वयं द्वारा वादपत्र में यह उल्लेखित किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात् वादीगण के पूर्वज पाबूराम व प्रतिवादीगण के पूर्वज सालगराम जो सगे भाई है कि सहखातेदारी आराजी थी। भू—प्रबंध कार्यवाही के दौरान भू—प्रबंध अधिकारियों के द्वारा विधि विरूद्ध रूप से उक्त आराजीयात् के खसरान् में से विभाजन करते हुए दोनो के नाम पृथक—पृथक पर्चा आखिरी जारी किया तथा भू—अभिलेख में अलग—अलग दर्ज कर दिया गया जबकि रेस्पोडेन्ट्स प्रतिवादी द्वारा आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान पाबूराम व सालगराम की सहमति से खाता विभाजन किया गया तथा इसी अनुरूप संवत् 2018 में पर्चा आखिरी तस्दीक जारी किया गया। जिन पर सहमति स्वरूप पाबूराम के हस्ताक्षर व सालगराम के अगुष्ठ निशान है। इसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज होकर आज दिनांक तक चला आ रहा है। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त पर्चा आखिरी तस्दीक संवत् 2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनो सहखातेदारान की सहमति के आधार पर खाता विभाजन होकर पृथक—पृथक दर्ज हुआ। जो बदस्तुर जारी रहा। भू—प्रबंध कार्यवाही के दौरान भू—प्रबध अधिकारी/सहायक भू—प्रबध अधिकारी तहसीलदार से अपेक्षित कार्य व शक्तियां प्राप्त होती है अर्थात नामान्तरण व सहमति से खाता विभाजन की शक्तियां प्राप्त होती है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजो द्वारा सहमति से सवंत 2018 में विभाजन करवा लिया गया। जिसके विरूद्ध सबधित पक्षकार अपील कर सकते थे लेकिन वादीगण को पुनः विभाजन बाबत् वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं रहता है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

ऐसे प्रकरणों में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व विभाजन के लिए नवीन वाद हेतु वादकारण वादकारण उत्पन्न नहीं हो सकता। वादीगण द्वारा भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान की गयी उपर्युक्त खाता विभाजन से सबंधित कार्यवाही से सबंधित तथ्य वादपत्र में छुपाये है तथा केवल यह अंकित करते हुए कि भूमि एकीकरण अधिकारियों द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अलग अलग खाता दर्ज कर दिया गया है। जो आरम्भतः शुन्य है, के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. चूंकि यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात् का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो द्वारा सहमति से संवत् 2018 में खाता विभाजन करवाया गया। अतः उभयपक्षकारान उक्त सहमति से सदैव के लिये आबद्ध(एस्टोप्ड) है। अतः इस आधार पर वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात् में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत करने का कानूनन कोई वादाधिकार प्राप्त नहीं है।
8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में उल्लेखित प्रकरणों व हस्तगत प्रकरण की प्रकृति एवं परिस्थितियां भिन्न–भिन्न है। अतः उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत अपीलांट के पक्ष में हुबहु चस्पा नहीं होते हैं।
9. हमारे विनम्र मत में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत वादपत्र वादकारण उत्पन्न नहीं होने, वादीगण एस्टोपल के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण वादपत्र काबिल खारिज था तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2020 बउनवान पाबूराम के का. मु. मांगीलाल वगै. बनाम सालगराम के का.मु. मानाराम वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12. 05.2023 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **29.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

29/08/25

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली

Scanned with OKEN Scanner